रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 9] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 5, 2018/पौष 15, 1939
No. 9] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 5, 2018/PAUSHA 15, 1939

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2018

सा.का.नि. 10(अ).—राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु–निःशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास नियम, 2000 का और संशोधन करने के लिए, कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु–निःशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 (1999 का 44) की धारा 34 की उपधारा (2) के खंड (ख) के साथ पठित धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करती है, उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा;

आक्षेप और सुझाव, यदि कोई हों, डॉ. प्रबोध सेठ, संयुक्त सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, बी–III, कमरा नं. 530, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कांप्लैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 या ईमेल द्वारा jsda-msje@nic.in पर भेजे जाएं;

आक्षेपों और सुझावों पर, जो उक्त प्रारूप नियमों की बाबत ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व किसी व्यक्ति से प्राप्त होते हैं, केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु–निःशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास (संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु–निःशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास नियम, 2000 के नियम 4 पर, निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात्:–

''4. बोर्ड के अध्यक्ष के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हता और अनुभव–

(1) बोर्ड के अध्यक्ष की अर्हताएं निम्नलिखित होंगी, अर्थात्:–

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री। तथापि, निम्नलिखित को प्राथमिकता दी जाएगी;

(क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से निःशक्तताओं/समुदाय आधारित दिव्यांगता पुनर्वास के एक या अधिक क्षेत्रों, अर्थात् स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु–निःशक्तता में स्नातकोत्तर डिग्री या इन क्षेत्रों में भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा मान्यताप्राप्त अन्य कोई समकक्ष अर्हता और भारतीय पुनर्वास परिषद के साथ कार्मिक या पेशेवर के रूप में पंजीकृत; या

(ख) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से किसी भी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री के साथ निःशक्तताओं/समुदाय आधारित दिव्यांगता पुनर्वास के एक या अधिक क्षेत्रों, अर्थात् स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु–निःशक्तता में डिप्लोमा अथवा डिग्री या इन क्षेत्रों में भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा मान्यताप्राप्त अन्य कोई समकक्ष अर्हता और भारतीय पुनर्वास परिषद के साथ कार्मिक या पेशेवर के रूप में पंजीकृत; या

(ii) प्रख्यात वृत्तिक जनरलों में अनुसंधान पत्र के प्रावधान को अतिरिक्त अर्हता के रूप में माना जाएगा।

(2) बोर्ड के अध्यक्ष के पास निम्नलिखित अनुभव होगा, अर्थात्:–

(क) निःशक्तता सेक्टर में कम से कम दस वर्ष का अनुभव, जिसमें से कम से कम सात वर्ष का अनुभव स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु–निःशक्तता में होना चाहिए; और

(ख) किसी ऐसे गैर सरकारी संगठन के, जो स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु–निःशक्तता के क्षेत्र में कम से कम दस वर्ष से सेवा कर रहा है, मुख्य कार्यपालक अधिकारी या अध्यक्ष या प्रधान या महासचिव के रूप में कम से कम तीन वर्ष का प्रशासनिक अनुभव।

(3) बोर्ड के अध्यक्ष, केंद्रीय सरकार द्वारा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को बासठ वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए।''

[फा. सं. 26–16/2017–डीडी–III]

डॉ. प्रबोध सेठ, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–II, खंड–3, उप–खंड (i) में अधिसूचना 639(अ), तारीख 26 जुलाई, 2000 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना तारीख 04 फरवरी, 2015 संशोधित किए गए।

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan))

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th January, 2018

G.S.R. 10 (E).—The following draft of certain rules further to amend the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Rules, 2000, which the Central Government, proposes to make, in exercise of the powers conferred by Section 34 of the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999 (44 of 1999), is hereby published for the information of all persons likely to be affected thereby ; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public;

Objections and suggestions, if any, may be addressed to Dr.Prabodh Seth, Joint Secretary, Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India, B-III, Room No. 530, Pt. Deendayal Antyodaya Bhawan, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003 or by email at jsda-msje@nic.in;

The objections and suggestions which may be received from any person with respect to the said draft Rules before the expiry of the period specified above, shall be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities (Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Rules, 2000, for Rule 4, the following shall be substituted, namely;—

"4. Educational qualification and experience required for Chairperson of the Board. —

(1) The Chairperson of the Board shall have the following qualifications, namely: —

(i) Master's degree from a recognized university. However, preference may be given to:

(a) Post Graduate degree in one or more area of disability/community based disability rehabilitation; namely, autism, cerebral palsy, mental retardation, multiple disability or any other equivalent qualification in these fields recognized by Rehabilitation Council of India from a recognized University/institute and having registered as Personnel or Professional with Rehabilitation Council of India; or

(b) Post graduate degree in any subject with diploma or degree in one or more area of disability/community based disability rehabilitation; namely, autism, cerebral palsy, mental retardation, multiple disability or any other equivalent qualification in these fields recognized by Rehabilitation Council of India from a recognized University/Institute and having registered as Personnel or Professional with Rehabilitation Council of India. and

(ii) Publication of research papers in reputed professional journals shall be considered as additional qualification.

(2) the Chairperson of the Board shall have the following experience, namely: —

(a) minimum ten years of experience in the disability sector of which not less than seven years in Autism/Cerebral Palsy/ Mental retardation/ Multiple Disabilities; and

(b) administrative experience of not less than three years as Chief Executive Officer or Chairperson or President or General Secretary of any Non-Governmental Organisation which has been serving at least for ten years in the areas of autism, cerebral palsy, mental retardation and multiple disabilities;

(3) The Chairperson of the Board shall not be older than sixty-two years as on the closing date of receipt of applications by the Central Government."

[F. No. 26-16/2017–DD-III]

Dr. PRABODH SETH, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. No. 639 (E) dated the 26th July, 2000 and was last amended vide notification dated 4th February, 2015.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.01.08 16:06:34 +05'30'